



कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

एम.बी.एस.रोड, कवीर सकिंत, कोटा

क्रमांक : एफ ६ () शोध / को.वि.को / २०१९ / १४६

दिनांक : ८३।०५।१९

शोधार्थियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

विश्वविद्यालय में पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत शोधार्थियों को इस पाठ्यक्रम के संबंध में राजभवन से प्राप्त गाइड लाइन के अनुसार किये गये शोध कार्य का प्रगति प्रतिवेदन (Progress Report) निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक छ: माह में सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक एवं शोध केन्द्र से अग्रेषित करवाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कुछ शोधार्थियों द्वारा वार्षिक/छ: माही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अतः सभी शोधार्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक छ: माह में प्रस्तुत की जाने वाली प्रगति प्रतिवेदन यथा समय प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में ऐसे शोधार्थियों को रवेच्छा से शोध कार्य हेतु अनुपरिधि/शोध कार्य के प्रति उदासीन (Not interested) मानते हुए उनका शोध पंजीकरण निररक्तीकरण की कार्यवाही अगल में लाई जा सकेगी।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि शोधार्थियों के द्वारा सम्बन्धित शोध केन्द्र पर निर्धारित शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित समय पर जमा नहीं करवाया जा रहा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि ऐसे शोधार्थी शोध केन्द्र पर सम्बन्धित पर्यवेक्षक को उपरिथिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। अतः एतद्वारा सभी शोधार्थियों एवं शोध केन्द्र के विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि सभी पंजीकृत शोधार्थियों की उपरिथिति का उचित राधारण एवं समय पर निर्धारित शुल्क जमा करना सुनिश्चित करावें। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित शोधार्थियों का पंजीयन निररक्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

—
(डॉ. ओ.पी. ऋषि)
निदेशक (शोध)

क्रमांक : एफ ६ () शोध / को.वि.को / २०१९ / १६७ - १०
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

दिनांक : ०१।०५।१९

1. रामरत विभागाध्यक्ष, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
2. रामरत शोध केन्द्र/प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
3. निजी संचिव, कुलपति, माननीया कुलपति महोदया के समक्ष अदलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. निजी सहायक, कुलसंचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. रक्षित पत्रायली।

(डॉ. चिरुल शर्मा)
उप कुलराजिव (शोध)